

6500361026

## निर्णय

( आज दिनांक 16/11/16 को हुई बैठक का निष्पत्ति )

1. आरोपी द्वारा की गयी ऐच्छापूर्वक दोषसिद्धि के अधिकांक के परिणामस्वरूप आरोपी को दोष मोटरवाहन अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।  
रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्धदण्ड जमा करने के व्यक्तिगत की दशा में तीन दिनों का अन्तर्गत सुनवाई जाये।
2. आरोपी को धारा 105 मोटरवाहन अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठाने तक का बालबाल का दोष

3. प्रकरण में आरोपी अभिरुद्धा में नहीं रहा है।

मैजिस्ट्रेट

जे.एस.एस.पी. सिटी, दिल्ली